पत्रांक /जि0का0अ0/आ0बा0कार्य0 चयन/2025–26/ दिनांकः–10/03/026

कार्यालय– जिला कार्यक्रम अधिकारी, बिजनौर।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 क्रम मे जनपद बिजनौर मे बाल विकास सेवा एंव पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत संचालित 13 बाल विकास परियोजनाओं मे पूर्व चयन से अवशेष मानदेय आधारित **आंगनबाड़ी कार्यकत्रियो के रिक्त कुल 41 पदों पर** महिला अभ्यर्थियों से तत्सम्बन्धित पोर्टल **http://upanganwadibharti.in** पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। सहायिकाओं के रिक्त पदों का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदो की संख्या
1	शहर बिजनौर	शहरी	7
2	मौ0पुर देवमल	ग्रामीण	4
3	हल्दौर	ग्रामीण	1
4	खारी झालू	ग्रामीण	2
5	जलीलपुर	ग्रामीण	3
6	नूरपुर	ग्रामीण	5
7	अफजलगढ़	ग्रामीण	1
8	स्योहारा	ग्रामीण	1
9	धामपुर	ग्रामीण	5
10	नहटौर	ग्रामीण	2
11	किरतपुर	ग्रामीण	2
12	नजीबाबाद	ग्रामीण	7
13	कोतवाली	ग्रामीण	1
कुल योग			41

उपरोक्त पदों का ग्राम सभा/वार्डवार विवरण, आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड, सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय एंव अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।

चयन हेतु पात्रता/अर्हता एंव ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध मे निर्देशः–

01– आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष होना अनिवार्य है। अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक है।

02– आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

03– आवेदिका की आयु 01 जनवरी 2026 को **18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए।

04– विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम **तिथि 01–04–2026 मध्य रात्रि 12:00 बजे** तक होगी। विज्ञापित पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार्य नही होंगे।

05– आय प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध मे उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–3959/1–9–11–राज0–9, दिनांक 30–09–2021 (यथा संशोधित) के क्रम मे सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हों।

06– गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्ननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–22/2015/2123/26–2–2015, दिनांकः 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा (**ग्रामीण क्षेत्र में रू0–46,080/– एंव शहरी क्षेत्र में रू0–56,460/– वार्षिक**) का अनुपालन किया जायेगा।

07– विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एंव परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगीं।

क्रमशः– पृष्ठ 02 पर...............

08– तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध मे मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

09– एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर नही की जायेंगी।

(विमल कुमार चौबे)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
बिजनौर

पृष्ठॉकन संख्या ई-1864/तद दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– निदेशक महोदया, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0 प्र0 लखनऊ।

02– जिलाधिकारी महोदया, बिजनौर।

03– मुख्य विकास अधिकारी महोदय/अध्यक्ष, चयन समित, बिजनौर।

04– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

05– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित है कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

06– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूचना/विज्ञप्ति को तहसील कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराये जाने के साथ ही परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर भी चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।

07– ज़िला सूचना अधिकारी, बिजनौर।

08– सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान एंव सांध्य दैनिक चिंगारी को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम् स्पेस मे शासकीय दरों पर समाचार–पत्र के **दिनांकः 11–03–2026** के अंक में प्रकाशित कराते हुए बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/03/2026

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बिजनौर

CamScanner